



प्रति,

2-1 MAR 2018

कार्यपालन यंत्री,

जला संसाधन संभाग

बुरहानपुर

विषय :- बुरहानपुर जिले के अंतर्गत भावसा मध्यम सिंचाई तालाब निर्माण हेतु 275.04 हे. वनभूमि जल संसाधन संभाग बुरहानपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- प्र.मु.व.सं. (मू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ-3/101/2016/10-11/10/720 दि. 12.03.18

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./8-54/2017-एफ.सी. दिनांक 05.03.2018 द्वारा भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। अधिरोपित शर्त क्र. 2 (xiv) के अनुसार 275.04 हे. वनभूमि की नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि जमा की जाना है।

अतः म.प्र. शासन वनविभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./एफ-5/16/2000/10-3 दि. 12.09.2008 के अनुसार वनमंडल अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्यम घनत्व वन (0.5 से 7) हे. हेतु निर्धारित नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रु. 803000/- प्रति हे. के मान से 275.04 हे. हेतु राशि रु. 220857120/- (बाईस करोड़ आठ लाख सत्तावन हजार एक सौ बीस) को निर्देशानुसार भारत सरकार के हेड ऑफ केम्पा के खाते में ऑनलाईन ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे, ताकि तदनुसार वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जा सकें।

(नाहसिंह)

वनसंरक्षक एवं पदेन

वनमंडलाधिकारी, वनमंडल सा. बुरहानपुर

पृ. क्रमांक / मा.चि./2018/ 1020

बुरहानपुर दिनांक

प्रतिलिपि :-

2-1 MAR 2018

- 1) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) मुख्य वनसंरक्षक खंडवा वृत्त खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनसंरक्षक एवं पदेन

वनमंडलाधिकारी, वनमंडल सा. बुरहानपुर
21/3/18